न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 36/2021

जीसीएमएस– 2021/117

दायर दिनांक– 27.09.2021

निर्णय दिनांक– 16.02.2022

वादी

1. श्री एमीनेन्ट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड सी–30, लाजपत मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर जरिये हाल पता– एफ–2, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर जरिये निदेशक सौरभ कक्कड़ पुत्र स्व. श्री वी.के. कक्कड़, जाति कक्कड़, निवासी – एफ–65, राममार्ग, श्याम नगर जयपुर जरिये अधिकृत अभिकर्ता सुधीर व्यास पुत्र श्री बुद्वदेव व्यास, जाति ब्राह्मण निवासी– 2–क–21, जवाहर नगर जयपुर ।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्रीमती रूकमा पत्नी स्व. श्री जगदीश
2. श्रीमती नाथी पुत्री स्व. श्री जगदीश
3. श्रीमती सीता पुत्री स्व. श्री जगदीश
4. श्रीमती चुका पुत्री स्व. श्री जगदीश
5. श्रीमती मथिया पुत्री स्व. श्री जगदीश
6. श्रीमती मन्ना पुत्री स्व. श्री जगदीश समस्त जाति गुर्जर निवासी देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
7. उप पंजीयक, पंजीयन विभाग, पुष्कर तहसील अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।

वादपत्र बाबत् इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

उपस्थिति– **1.श्री नौरतमल जैन, वादी अभि0।**

2.श्री एस.के.चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06

3.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी वर्किंग खसरा नम्बर 1006 रकबा 05–07–00 बीघा [illegible] 1219 रकबा 0.8700 हैक्टयर है जो वाके ग्राम देवनगर पटवार हल्का देवनगर अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06 के पिता व स्व. जगदीश पुत्र [illegible] नाम सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी वादी के द्वारा प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 06 से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2006 क्रय की जिसका पंजीयन दिनांक 12.07.2006 के

16.2.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार कब्जा प्राप्त किया तथा आज दिवस तक वादी का ही विधिक एवं भौतिक कब्जा चला आया है किन्तु वर्तमान जमाबन्दी में वादी के नाम पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार इन्द्राज नहीं किया गया। इस कारण उक्त वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञाप्ति एवं उद्घोषणा खातेदारी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी फरमाये जाने हेतु यह वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की ओर से वकील श्री एस.के.चौधरी द्वारा वादी के नाम खातेदारी घोषणा बाबत् सहमति प्रदान की तथा प्रतिवादी सं. 08 पैरोकार सरकार तहसीलदार, पुष्कर द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया। पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक तह.पु/राजस्व/2022/13 दिनांक 03.01.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब दावा में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि " **राजस्व ग्राम देवनगर की जमाबन्दी संवत् 2069—72 के खाता सं. 183 में दर्ज खसरा सं. 1219 रकबा 0.87 हैक्ट. वादी व जगदीश पुत्र जेठू हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।"**

वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की गई तथा वकील वादी ने वादी साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करने बाबत् सहमति प्रदान की जिस पर उभयपक्ष की साक्ष्य बंद की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण एवं पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावे को ही बहस मनाते हुए अनुतोष पर विचारण किया गया।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में वादी अपने हक हिस्से की उद्घोषणा अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर मौजा देवनगर पटवार हल्का देवनगर की आराजीयात खाता संख्या 183 के खसरा नंबर 1219 रकबा 0.87 है0, जो कि वादी व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06 के पति व पिता स्व. श्री जगदीश पुत्र जेठू के नाम सहखातेदारी मे दर्ज है, की उद्घोषणा किये जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एवं अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत जवाब दावा तहसीलदार पुष्कर के आधार पर ख[illegible] 183 [illegible] नंबर 1219 रकबा 0.87 है0 में प्रतिवादी स. 01 लगायत 06 के पति व पिता [illegible] जगदीश पुत्र जेठू के स्थान पर एमीनेन्ट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमि[illegible] सी—30, ला[illegible] मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर जरिये हाल पता— एफ—2, आम्रपाली स[illegible] [illegible] जयपुर जरिये निदेशक सौरभ कक्कड़ पुत्र स्व. श्री वी.के. कक्कड़, जाति कक्कड़, [illegible]वासी — एफ—65, राममार्ग, श्याम नगर जयपुर जरिये अधिकृत अभिकर्ता सुधीर व्यास पुत्र श्री बुद्धदेव व्यास, जाति ब्राह्मण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested

16.2.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

निवासी– 2–क–21, जवाहर नगर जयपुर को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल व्यवधान नहीं करें। इस आशय की डिक्री पर्चा बनाया जाकर शामिल मिसल किया। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना–अपना वहन करें। निर्णय व डिक्री की राजस्व अभिलेख में अमल दरामद एवं पालनार्थ हेतु तहसीलदार पुष्कर को तहरीर जारी की जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

16.2.22

सुखाराम पिण्डेल
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा–डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 36 / 2021

जीसीएमएस– 2021 / 117

दायर दिनांक– 27.09.2021

निर्णय दिनांक– 16.02.2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री एमीनेन्ट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड सी–30, लाजपत मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर जरिये हाल पता– एफ–2, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर जरिये निदेशक सौरभ कक्कड़ पुत्र स्व. श्री वी.के. कक्कड़, जाति कक्कड़, निवासी – एफ–65, राममार्ग, श्याम नगर जयपुर जरिये अधिकृत अभिकर्ता सुधीर व्यास पुत्र श्री बुद्वदेव व्यास, जाति ब्राह्मण निवासी– 2–क–21, जवाहर नगर जयपुर ।		1. श्रीमती रूकमा पत्नी स्व. श्री जगदीश 2. श्रीमती नाथी पुत्री स्व. श्री जगदीश 3. श्रीमती सीता पुत्री स्व. श्री जगदीश 4. श्रीमती चुका पुत्री स्व. श्री जगदीश 5. श्रीमती मथिया पुत्री स्व. श्री जगदीश 6. श्रीमती मन्ना पुत्री स्व. श्री जगदीश समस्त जाति गुर्जर निवासी देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 7. उप पंजीयक, पंजीयन विभाग, पुष्कर तहसील अजमेर। 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।

वादपत्र बाबत् इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

उपस्थिति– **1.श्री नौरतमल जैन, वादी अभि0।**

2.श्री एस.के.चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06

3.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार

–:: डिक्री ::–

उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एवं अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत जवाब दावा तहसीलदार पुष्कर के आधार पर खाता संख्या 183 के खसरा नंबर 19 रकबा 0.87 है0 में प्रतिवादी स. 01 लगायत 06 के पति व पिता मय श्री जगदीश पुत्र जेठू के स्थान पर एमीनेन्ट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड सी–30, लाजपत मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर जरिये हाल पता– एफ–2, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर जरिये निदेशक सौरभ कक्कड़ पुत्र स्व. श्री वी.के. कक्कड़, जाति कक्कड़, निवासी – एफ–65, राममार्ग, श्याम नगर जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested

16.2.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

जरिये अधिकृत अभिकर्ता सुधीर व्यास पुत्र श्री बुद्धदेव व्यास, जाति ब्राह्मण निवासी–2–क–21, जवाहर नगर जयपुर को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल व्यवधान नहीं करें। इस आशय की डिक्री पर्चा बनाया जाकर शामिल मिसल किया। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना–अपना वहन करें। निर्णय व डिक्री की राजस्व अभिलेख में अमल दरामद एवं पालनार्थ हेतु तहसीलदार पुष्कर को तहरीर जारी की जावें।

निर्णय दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

16.2.22

सुखाराम पिण्डेल
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:04:47 IST
Reason: SelfAttested